महिलाओं के अस्तित्व और अस्मिता स्थिति का अनुशीलन

* शिल्पा खरे

अमेंरिका में जहाँ प्रति 9 सैकंड में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है, वहीं सरकारी आकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में बलात्कार की सबसे अधिक घटनाएँ निम्न तबकों और झुग्गी–बस्तियों में होती है। भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के अगर समुचे मामलों पर गौर करें तो 2006 में 30.4 प्रतिशत छेड़छाड़, 25 प्रतिशत अपहरण, 12 प्रतिशत बलात्कार, 12.8 प्रतिशत भ्रुण हत्या, 6.8 प्रतिशत यौन उत्पीड़न, 4.90 प्रतिशत दहेज मृत्यु, 4.20 प्रतिशत दहेज निषेध, व 0.6 प्रतिशत अन्य। ये समस्त अपराध राष्ट्रीय स्तर पर होते है।

दहेज :–दहेज की समस्या वर्तमान में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जिसके कारण माता–पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। जीवन साथी चुनने का सीमित क्षैत्र, बाल विवाह की अनिवार्यता, कुलीन विवाह, शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, धन का महत्त्व, मंहगी शिक्षा, सामाजिक प्रथा एवं प्रदर्शन तथा झुठी शान आदि के कारण दहेज लेना एवं देना आवश्यक हो गया हैं। दहेज के कारण न जाने कितनी ही स्त्रियों को जला देना, जहर व फाँसी देकर उनकी हत्या कर देने का समाचार हर दुसरे–तिसरे दिन सुर्खियों में रहता हैं। दहेज ने बालिका वध, पारिवारिक विघटन, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, बहुपत्नि प्रथा, बेमेंल विवाह, अनैतिकता, अत्याचार, भ्रष्टाचार, एवं अनेक मानसिक बीमारियों को जन्म दिया है। 1961 के दहेज कानून के अंतर्गत दहेज देना व लेना दोनो ही अपराध है। इसके लिए दो वर्ष की सजा हो सकती है। भारतीय दण्ड संहिता 498 (।) के तहत महिलाओं को प्रताड़ित करने पर तीन साल की सजा होती है। साथ ही आई. पी.सी. की धारा 406 के तहत लड़की से दहेज के सामान हड़पने पर उसके पति एवं ससुराल वालों को तीन साल की सजा या जुर्माना हो सकता हैं। एवं 1961 के कानून में संसोधन कर 1986 में धारा 304 (बी) जोड़ा गया है। जो कि विशेष रूप से दहेज हत्या में लागु होती है।

महिला साक्षरता एवं लिंगानुपात :–भारत में 07 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में साक्षर लोगो का अनुपात 65.38 प्रतिशत है। जो वर्ष 1991 की जनगणना के प्रतिशत से 13.17 प्रतिशत अधिक है। महिला साक्षरता भी 14.87 प्रतिशत से बढ़कर 54. 16 प्रतिशत हो चुकी है, जबकि पुरुष साक्षरता में केवल 11. 77 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। साक्षरता में उल्लेखनीय छत्तीसगढ़ (22.27) एवं मध्यप्रदेश (19.44) की साक्षरता दर में आं ाक वृद्धि। महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ (24. 87), राजस्थान (23.90) एवं मध्यप्रदेश (20.75) राज्यों में अनुभव की गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के आकड़ो के अनुसार महिला साक्षरता एवं लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। 1991 की जनगणना में लिंगानुपात 927 था जो 2001 की जनगणना में बढकर लिंगानुपात 933 हो गया हैं। लेकिन चिंतनीय यह है, कि छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में लड़कियों की संख्या 1991 की जनगणना में 945 थी जो घटकर 2001 की जनगणना में घटकर 927 हो गई है। घटता हुआ लिंगानुपात मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में देखने को मिलता है।

नारी सशक्तिकरण–स्वतंत्रता–लोगो में आम धाराण है, कि पुरुष प्रधान समाज में ज्यादातर मामलो में महिलाएँ छली जाती हैं। लेकिन इस मिथक को तिहाड़ जेल के आकड़ो ने तोड दिया है। जहाँ पुरूषो की अपेक्षा तीन गुना महिलाएँ धोखाधडी के मामलो में सलाखों के पिछे है। दहेज हत्या के मामलो में भी महिलाएँ पुरूषों को पछाड़ रही है। आकड़ो के अनुसार 2.35 फीसदी पुरूषो की अपेक्षा 8 गुना ज्यादा महिलाएँ जेल में बंद है तथा धोखाधड़ी के मामलो में 1.75 महिला केदियों को दोषी करार दिया जा चुका है। भारत में महिलाओ की दुनिया तेजी से बदल रही हैं। आधुनिक संगीत उपकरणो से लैस डिस्को में ईन्द्रधनुशी रंगो की रोशनी में संगीत एवं अंधेरे का फाईदा उठाते हुवे युवक–युवतीयॉ ऐसी हरकत कर जाते हैं जो आपत्ति जनक होती हैं। लेकिन स्वतंत्रता इसी का नाम है। जो अस्वच्छता में बदल गई है। महिला में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ा है लेकिन उन्हे यह शिक्षा वैज्ञानिकता, कलात्मकता या सृजन की तरफ नहीं बल्कि उदण्डता की ओर ले जा रही हैं।

सुझाव :– इस विस्तृत विवेचन के बाद स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, कि महिला उत्पीड़न एक ऐसी समस्या है। जो वर्तमान समय में पुरी तरह अपना जाल फेला चुकी है। अतः ऐसे सार्थक प्रयासो की आवश्यकता है। जो प्रभावी होकर कार्य करे, जिनमें है :–* महिला साक्षरता के लिए एक ऐसा समेंकित कार्यक्रम एवं योजना तैयार की जाये जो ग्रामीण महिला साक्षरता में भी वृद्धि करें। * भ्रूण हत्या दर में कमी एवं लिंगानुपात में संतुलन लाने के लिये व्यापक परिवर्तन किये जायें। * महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गठित महिला आयोग में पारस्परिक सामंजस्य बनाकर उन्हे और अधिक सम्पन्न बनाया जाना चाहिए। * स्कूल स्तर से ही महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने, विशेष महिला पुलिस सेल के गठन और महिला हेल्प लाईन सर्विस को भी प्रभावी बनाया जाये।

सन्दर्भ–1. ठाकुर मॅजुला (1999) ''अन्याय से न्याय तक'' ने ानल पब्लिशर्स, नई दिल्ली पेज नं.–48से49 2. भाटी कांता (2007) ''महिला उत्पीड़न, दहेज प्रताडना तथा दहेज हत्या'' पाईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर पेज नं.–228 3. कुमार अरूण–''दहेज का दानव डराता ही रहेगा'' एक लेख नई–दुनिया 7 अगस्त 2007. 4. अक्षेन्द्रनाथ सारस्वत (1999) ''सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, और भारतीय पुलिस एक्ट 1861'' पंचशील प्रकाशन, जयपुर पेज नं. 20

* 76 ए, तिरूपति नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश)